

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/इ.फ. 148-1865/2023/ 643

दिनांक:- 14/9/2023

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों की राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया जाता है:-

क्र.स	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	मृत्यु की तिथि
1	फतेहकवर, म.स्वा.कार्यकर्ता	महिला चिकित्सालय जयपुर	02.06.1966	09.10.1992	29.07.2023

इनके विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विवाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विवाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विवाराधीन/लम्बित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर

दिनांक:-

14/9/2023

क्रमांक:- ई-20/नर्सिंग/इ.फ. 148-1865/2023/ 643

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, पेशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
- अधीक्षक महिला चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2317-1821.08.23 के क्रम में।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर-द्वितीय/दूदू।
- संबंधित स्वण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रणारी।
- प्रशासनिक अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
- प्रशासनिक अधिकारी टी.सी (अराजपत्रित) मुख्यालय।
- संबंधित कर्मचारी के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रणारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval

Designation: Director

Date :14-09-2023 11:21:41